



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-08012020-215231
CG-DL-E-08012020-215231

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 13]
No. 13]

नई दिल्ली, मंगलवार, जनवरी 7, 2020/पौष 17, 1941
NEW DELHI, TUESDAY, JANUARY 7, 2020/PAUSHA 17, 1941

गृह मंत्रालय
अधिसूचना

नई दिल्ली, 2 जनवरी, 2020

सा.का.नि. 15(अ).—केंद्रीय सरकार, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल अधिनियम, 1949 (1949 का 66) की धारा 18 की उप धारा (1) और उप धारा (2) के खण्ड (क) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल समूह (योधक पैरा मेडिकल पदों) भर्ती नियम, 2011 को जहां तक इनका संबंध उप निरीक्षक (स्टॉफ नर्स) के पद से है, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है अथवा करने का लोप किया गया है, गृह मंत्रालय के अधीन केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल में उप निरीक्षक (स्टॉफ नर्स) के पद की भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-

- संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.— (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल, उप निरीक्षक (स्टॉफ नर्स) समूह "ख" (योधक पैरा चिकित्सीय पद) भर्ती नियम, 2019 है ।
(2) ये, राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।
- पदों की संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर.— उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर वह होगा, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तम्भ (2) से (4) में विनिर्दिष्ट हैं ।
- भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं आदि.— उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तम्भ (5) से स्तम्भ (13) में विनिर्दिष्ट हैं ।
- निरर्हता — वह व्यक्ति,—
(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित हैं, विवाह किया है, या विवाह की संविदा की है या

(ख) विधुन अपने पति या अपनी पत्नी के जोड़ित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है, या विवाह की संविदा की है।

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

4. शिथिल करने की शक्ति — जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके उन नियमों के किसी उपबंध का किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बावत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. व्यापकता — इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षणों, आयु सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

7. सीधे भर्ती के लिए शारीरिक मापदंड — केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल भर्ती मैनुअल, 1975 में यथासंशोधित 19/04/2006 के भाग-चार के अनुसार —

- | | | | |
|------|--|---|---|
| (क) | ऊंचाई | : | पुरुषों के लिए -- 170 से.मी.
महिलाओं के लिए -- 157 से.मी. |
| (ख) | सीना | : | विना फुलाए पुरुषों के लिए -- 80 से.मी.
और फुलाने पर -- न्यूनतम फुलाव 5 से. मी.
महिलाओं के लिए -- लागू नहीं |
| (ग) | भार | : | पुरुषों और महिलाओं के लिए : विकल्प मानदंडों के अनुसार उंचाई व आयु के अनुपात में उनका वजन होना चाहिए। |
| (घ) | दृष्टि | : | दोनों आंखों की दृष्टि बिना सुधार के अर्थात् बिना चष्मों के न्यूनतम 6/6 तथा 6/9 होनी चाहिए। |
| (ङ) | अभ्यर्थी को सहज जातु, चपटे पैर, फूली हुई नसों या तिर्यक आंख वाला नहीं होना चाहिए और उन्हें उच्च रंग दृश्यता वाला होना चाहिए और उन्हें मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ होना चाहिए तथा उनमें कर्तव्यों के कुशल निर्वहन में रुकावट पैदा करने वाली कोई शारीरिक विकृति नहीं होनी चाहिए। | | |
| (च) | शिथिलीकरण | : | अनुसूचित जन जातियों तथा पहाड़ी क्षेत्र के उम्मीदवारों के लिए ऊंचाई एवं सीने में निम्नलिखित प्रकार से छूट देय होगी :- |
| (i) | ऊंचाई | : | गढ़वाली, कुमायुनी, गोरखा, डोगरा, मराठा प्रवर्ग में आने वाले अभ्यर्थियों और सिक्किम, नागालैंड, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय, असम, हिमाचल प्रदेश तथा केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर के तहत कश्मीर क्षेत्र एवं केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख का लेह एवं लद्दाख क्षेत्रों से संबंधित पुरुष अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम उंचाई 165 सेमी. होगी।
महिला के लिए न्यूनतम उंचाई 155 सेमी होगी तथा अनुसूचित जन जाति के पुरुष के लिए न्यूनतम उंचाई 162.5 सेमी. तथा महिलाओं के लिए 150 से. मी. होगी। |
| (ii) | सीना | : | अनुसूचित जन जातियों और पहाड़ के लोगों के लिए सीने में शिथिलता लागू होगी।
कार्मिकों के इस प्रवर्ग के लिए न्यूनतम सीना निम्नानुसार होगी :-
(क) उपरोक्त पैरा में विनिर्दिष्ट पहाड़ी क्षेत्रों से संबंधित पुरुष
: 78- 83 से.मी.
(ख) सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्र के अनुसूचित जन जाति के उम्मीदवारों के लिए : 76-81 सेमी |

8. शारीरिक दक्षता परीक्षण —

(क) दौड़

(ख) लम्बी कूद	(i) पुरुषों के लिए	:	7.5 मिनट में 1 मील
	(ii) महिलाओं के लिए	:	6 मिनट में 800 मीटर
(ग) ऊंची कूद	(i) पुरुषों के लिए	:	10 फीट
	(ii) महिलाओं के लिए	:	6 फीट
(घ) ऊंची कूद	(i) पुरुषों के लिए	:	3 फीट
	(ii) महिलाओं के लिए	:	2.5 फीट

9. प्रोन्नति के लिए चिकित्सक दृष्ट्या योग्यता.—इस अनुसूची में सम्मिलित किसी भी ग्रेड या रैंक या पद में एक पद से दूसरे पद में योद्धक स्टाफ की प्रोन्नति के लिए कार्मिक की चिकित्सीय श्रेणी सरकार द्वारा निर्धारित मेडिकल शेष-1 के अनुरूप होना होगा।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन भौतिकता में स्तर	चयन या अचयन पद
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
रूप निरीक्षक (स्टॉफ नर्स)	472 * (2010) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केंद्रीय सेवा समूह 'ख' असाधारण अनुसूचिवीय (योद्धक)	वेतन भौतिकता में स्तर -06 (रु. 35400-112400)	चयन पद

सीधी भर्ती किए जाने वाले अभ्यर्थियों के लिए आयु सीमा

(6)

30 वर्ष से अधिक न हो (केंद्रीय सरकार द्वारा जारी अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए 5 वर्ष की छूट देय है)

टिप्पण : आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी। (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख का लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा चम्पा-जिले के पांगी उपखंड, अंडमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के संघ राज्य क्षेत्रों के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।

सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं, प्रोन्नति व्यक्तियों की दशा में लागू होंगे या नहीं	परिशीक्षा की अवधि यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति : — भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनिधुक्ति / आगेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता।
(7)	(8)	(9)	(10)
अनिवार्य अर्हताएं : (i) किसी मान्यताप्राप्त बोर्ड से 12 वीं कक्षा उत्तीर्ण ; तथा (ii) किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड या परिषद से जनरल नर्सिंग एंड	लागू नहीं होता	02 वर्ष	5 प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा, जिसके न होने पर सीधी भर्ती द्वारा ; 95 प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा

मिड-वार्डफ का 3½ वर्षीय पाठ्यक्रम उल्लिखित है ; और (iii) केंद्रीय नर्सिंग परिषद या राज्य नर्सिंग परिषद से नर्स या नर्स एंड मिड-वार्डफ के तौर पर पंजीकृत हो ।				
---	--	--	--	--

प्रोन्नति या प्रतिनिधित्व या आगेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियाँ, जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनिधित्व या आगेलन किया जाएगा।	
(11)	
प्रोन्नति : वेतन भेट्टेवस के स्तर 4 (25,500—81,100 रु.) में ऐसे हवलदार (नर्स या सहायक नर्स मिड-वार्डफरी) जिन्होंने उस श्रेणी में दस वर्ष की नियमित सेवा की हो तो स्तम्भ (7) में विहित सीधी भर्ती के लिए शैक्षिक अर्हता रखते हैं। टिप्पण : जहाँ ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहाँ उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह जब जब कि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो ।	

यदि विभागीय प्रोन्नति रागिति है, तो इसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।
12	13
1 विभागीय प्रोन्नति रागिति (प्रोन्नति के लिए विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे :— (1) उप महानिरीक्षक (चिकित्सा), केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल — अध्यक्ष ; (2) मुख्य चिकित्सा अधिकारी (चयन श्रेणी) केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल — सदस्य ; (3) ज्येष्ठ चिकित्सा अधिकारी या चिकित्सा अधिकारी, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल — सदस्य ;	लागू नहीं होता ।
2 विभागीय पुष्टि रागिति (पुष्टिकरण के लिए विचार के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे :— (1) उप महानिरीक्षक (चिकित्सा), केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल — अध्यक्ष ; (2) मुख्य चिकित्सा अधिकारी (चयन श्रेणी) केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल — सदस्य ; (3) ज्येष्ठ चिकित्सा अधिकारी या चिकित्सा अधिकारी, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल — सदस्य ;	

[सं. आर. 11-1/2019-चिकित्सा-1-केरिपुबल/गृह मंत्रालय(कार्मिक-11)]

ललित कपूर, उप सचिव (कार्मिक-11)